

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-10062021-227467
SG-DL-E-10062021-227467

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 160]	दिल्ली, बुधवार, जून 9, 2021/ज्येष्ठ 19, 1943	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 47
No. 160]	DELHI, WEDNESDAY, JUNE 9, 2021/JYAISTHA 19, 1943	[N. C. T. D. No. 47

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 19 अप्रैल, 2021

फा0 सं0 एए/डीओटीसी/2016/एचबीएसी/3036/175-184.—मानव अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण नियमावली, 2014 के नियम 12 के साथ पठित मानव अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (1994 का 42) की धारा 9 की उप धारा (4) के खण्ड (ख) के अनुसरण में तथा डॉ0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के संबंध में दिनांक 20 जनवरी, 2014 की एसओ 217 (ई) के अनुसार भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-II खण्ड-3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के अधिक्रमण में माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद्वारा डॉ0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के लिए अधिसूचना की तिथि से अस्पताल आधारित प्राधिकार समिति का पुनर्गठन करते हैं, समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात् :-

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | चिकित्सा अधीक्षक
डॉ0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली. | अध्यक्ष |
| 2. | डॉ0 प्रताप सिंह
सहायक प्रोफेसर
औषधि विभाग | सदस्य |

- डॉ० राम मनोहर लोहिया अस्पताल
नई दिल्ली.
3. प्रोफेसर (डॉ०) आर.के.गौतम सदस्य
परामर्शदाता, त्वचा विज्ञान विभाग
डॉ० राम मनोहर लोहिया अस्पताल
नई दिल्ली.
4. डॉ० सी.पी. सिंह सदस्य
भूतपूर्व चिकित्सा अधीक्षक
डॉ० राम मनोहर लोहिया अस्पताल
नई दिल्ली.
5. श्रीमती नित्या रामकृष्णन सदस्य
अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय
56, टोडरमल रोड, बंगाली मार्केट
नई दिल्ली.
6. सचिव (स्वास्थ्य) अथवा नामित सदस्य
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
नौवा तल, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली.
7. महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं अथवा नामित सदस्य
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
एफ-17, कडकड़डूमा, दिल्ली -32.

यह माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाता है।

अजय बिष्ट, उप सचिव

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 19th April, 2021

F. No. AA/DOTC/2016/HBAC/3036/175-184.—In accordance with the clause (b) of sub-section (4) of section 9 of the Transplantation of Human Organs and Tissues Act, 1994 (42 of 1994) read with rule 12 of the Transplantation of Human Organs and Tissues Rules, 2014 and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II-Section 3-Sub-section (ii), vide number S.O. 217(E) dated the 20th January, 2014 in so far as it relates to Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Hon'ble Health Minister Government of National Capital Territory of Delhi hereby reconstitutes the Hospital Base Authorization Committee for Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, consisting of the following persons with effect from the date of notification namely:-

- | | |
|---|----------|
| 1. Medical Superintendent
Dr. Ram Manohar Lohia Hospital
New Delhi | Chairman |
| 2. Dr. Pratap Singh
Assistant Professor
Department of Medicine
Dr. Ram Manohar Lohia Hospital
New Delhi | Member |

- | | | |
|----|---|--------|
| 3. | Prof. (Dr.) R. K. Gautam,
Consultant, Department of Dermatology
Dr. Ram ManoharLohia Hospital
New Delhi | Member |
| 4. | Dr. C. P. Singh
Ex Medical Superintendent
Dr. Ram ManoharLohia Hospital
New Delhi | Member |
| 5. | Mrs. Nitya Ramakrishnan
Advocate Supreme Court
56, Todarmal Road, Bengali Market
New Delhi | Member |
| 6. | Secretary (Health) or nominee
Government of NCT of Delhi
9 th Floor, Delhi Secretariat, New Delhi. | Member |
| 7. | Director General Health Services or nominee
Government of NCT of Delhi
F-17, Karkardooma, Delhi -32. | Member |

This issue with the prior approval of Hon'ble Minister of Health, G NCT of Delhi.

AJAY BISHT, Dy. Secy.